

फा.कमांक / 11 / भवन अनुज्ञा शाखा / 2021



कोरबा दिनांक 07/01/2021


ईशतहार

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत (कोसाबाड़ी जोन) वार्ड क्रमांक 31 खरमोरा में निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा नगर पालिक निगम से कॉलोनाईजर अनुज्ञप्ति / विकास अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही भूमि को भू-खण्डों में विभक्त कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया गया / किया जा रहा है।

01. श्री असीम दत्ता पिता श्री बी. दत्ता.पता- एस.एस. इनक्लेव एस.एस. प्लाजा के पीछे पावर हाऊस रोड कोरबा द्वारा खरमोरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 832/1 रकबा 0.263 हेक्टेयर लगभग, प0ह0नं0 20 रा.नि.मं0 तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.) ।
02. श्री मुकेश सिंह पिता श्री दिनेश सिंह राजपूत पता- बालाजी नमकीन हाऊस के पास तुलसी नगर कोरबा द्वारा खरमोरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 832/2 रकबा 0.263 हेक्टेयर लगभग, प0ह0नं0 20 रा.नि.मं0 तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)।
03. डॉ.मानवेश नाथ सिन्हा पिता श्री एम.एन.सिन्हा पता- प्लॉट नं0 237 कोसाबाड़ी कोरबा द्वारा नियुक्त मुखियायार आम श्री सुधीर शर्मा पिता श्री सुरेन्द्र नाथ शर्मा पता- प्लॉट नं0 237 कोसाबाड़ी कोरबा द्वारा खरमोरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 352/1 रकबा 0.788 हेक्टेयर प0ह0नं0 20 रा.नि.मं0 तहसील व जिला कोरबा (छ.ग.)

उक्त वर्णित खसरों की भूमि अवैध प्लॉटिंग/अवैध व्यपवर्तन के अंतर्गत है एवं उसमें कय की गई भूमि के अंतरण को शून्य करते हुए राजस्व विभाग छ.ग. शासन/नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर अंतरित किये जाने की कार्यवाही किया जाना है। उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 22.01.2021 तक नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय साकेत भवन के प्रथम तल भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से ईशतहार जारी किया गया।


भवन अनुज्ञा अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)